FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0188 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/09/2024 19:38 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 31/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 02/09/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/09/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/09/2024 19:38:35 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 0.700 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** DUKAN SPECTRA COLOUR, STUDIO KE SAMNE GANDHI, TIRAHA DAUSA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SHIMLA MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMKARAN MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1997 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LADLI KA BAS, NANGAL RAJAVTAN, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LADLI KA BAS, NANGAL RAJAVTAN, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMJEELAL MEENA		पिता:RAMGOPAL MEENA	1. NANGALRAJAVTAN,DAUSA,RA
2	VIJAY MEENA		पिता:MANGILAL MEENA	1. 60 B,GALI NO. 5B,BRHMPURI ROAD,JAIPUR,BRHAMPURI,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		12,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 12,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 30.08.2024 को समय 10.52 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाइल पर एसीबी मुख्यालय जयपुर के हैल्पलाईन नं0 1064 से कॉल आया एंव निर्देश प्रदान किये गये कि परिवादिया शिमला मीना से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसके इन्सेंटिव राशि बिल पास कर पेमेन्ट करवाने की एवज् में रिश्वत की मांग कर रहे है। आप परिवादिया से मोबाइल नं0 , पर सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करे। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने मुख्यालय द्वारा परिवादिया के दिये गये नम्बरो पर अपने मोबाइल नं0 से सम्पर्क कर वार्ता की तो परिवादिया ने बताया कि मै शिमला मीना पुत्र श्री रामकरण मीना उम्र 27 साल जाति मीना निवासी लाडली का बास, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा की रहने वाली हॅू तथा वर्तमान में CHO के पद पर अभयपुरा में पदस्थापित हॅू मेरा INCENTIVE का पेमेंट माह अप्रेल 2023 से अगस्त 2024 तक का PENDING चल रहा है जिसके लिए मै एमओआईसी अति0 चार्ज BCMO साहब श्री रामजीलाल मीना से मिली तो उन्होने मेरे उक्त पेमेंट में से अप्रेल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के भुगतान करने के लिए प्रति माह 1000/-रूपये के हिसाब से रिश्वत की मांग कर 12 माह के कुल 12,000/- रूपये रिश्वत के श्री विजय मीना CHO डागोलाई को देने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि मेरा सारा काम वो ही देखता है, परिवादिया से हुई वार्ता से प्रकरण रिश्वत लेन देन का पाये जाने पर परिवादिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु मांग सत्यापन के बारे में बताया गया तो परिवादिया ने बताया की सर आज मै बाहर हॅू मै कल मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगी । इसके बाद दिनांक 31.08.2024 को समय 07.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस की परिवादिया से जरिये दूरभाष व्हाट्सअप कॉल पर वार्ता हुई तो परिवादिया ने बताया साहब मै आपके ऑफिस में नही आ सकती आप मांग सत्यापन के लिए अपने किसी कर्मचारी को नांगल राजावतान टोल पर भिजवा दो मै उनको वहॉं उपस्थित मिल जाउॅगी और रिश्वत मांग सत्यापन करवा दूंगी । इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस राजकार्य से बाहर होने पर श्रीमति मंजू हैड कानि0 53 को परिवादिया शिमला मीना के मो0न0 नोट करवाकर परिवादिया से सम्पर्क करने व कार्यालय से विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के मय कानि0 लोकेश कुमार नं0 155 को हमराह लेकर परिवादिया के पास टोल नांगल राजावतान जाकर परिवादिया से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परिवादिया को मांग सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल टेपरिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द सुपूर्द कर मांग सत्यापन करवाना व बाद मांग सत्यापन मय परिवादिया के कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 01.00 पीएम पर बाद मांग सत्यापन श्रीमति मंजू मीना हैड कानि0 53 मय कानि लोकेश कुमार 155 व परिवादिया शिमला मीना के उपस्थित कार्यालय आई व मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादिया द्वारा अग्रिम कार्यावाही हेतु पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र व मांग सत्यापन का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि साहब मै और कानि लोकेश कुमार आपके निर्देशानुसार कार्यालय से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के लेकर कार्यालय से रवाना होकर टोल नाका नांगल राजावतान पर पहॅुचे और आप द्वारा दिये गये परिवादिया शिमला मीना के मो0न0 र वार्ता कर सम्पर्क किया गया तो परिवादिया हमे टोल नाके पर उपस्थित मिली जिनसे हमने परिचय कर परिवादिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र देने बाबत् कहा तो परिवादिया ने अपना लिखित प्रार्थना पेश किया जिसको अपने कब्जे में रखा जाकर मांग सत्यापन हेतु परिवादिया को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द सुपूर्द किया गया। तत्पश्चात मै, परिवादिया शिमला मीना व श्री लोकेश कुमार कानि0 155 वहॉं से मोटर साईकिल व परिवादिया की स्कूटी से रवाना होकर संदिग्ध आरोपी श्री रामजीलाल मीना की क्लिनिक नांगल राजावतान के नजदीक पहॅुचे, जहॉं पर परिवादिया शिमला मीना तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर उस क्लिनिक में चली गई एवं मै एवं लोकेश कुमार कानि0 उस क्लिनिक के बाहर ही खडे होकर परिवादिया पर नजर रखते हुये इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद परिवादिया बाद मांग सत्यापन हमारे पास आई और मुझे वॉईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मैने बन्द कर अपने कब्जे में लिया। तब परिवादिया शिमला मीना ने मुझे बताया की मेरी बीसीएमओ साहब श्री रामजीलाल मीना से मेरे इन्सेंटिव राशि बिल के बारें में बातचीत हुई तो उन्होने मेरे से मेरा इन्सेंटिव राशि बिल पास कर दिलवाने की एवज प्रतिमाह 1,000/-रूपये रिश्वत की मांग कर मेरा इन्सेंटिव राशि बिल अप्रेल 2023 से 31 मार्च

2024 तक कुल 12 माह का पास कर दिलाने की एवज में 12,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर श्री विजय मीना सीएचओ डागोलाई को देने के लिए कहा है। इसके बाद परिवादिया से उसके मोबाइल नं0 का स्पीकर ऑन कर जरिये व्हाट्सअप कॉल संदिग्ध आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ डागोलाई से उसके मोबाइल नं0 वार्ता करवायी जाकर वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई तो संदिग्ध आरोपी ने परिवादिया से उसका इन्सेंटिव राशि बिल तैयार कर पेमेंट दिलाने की एवज में प्रतिमाह 1,000/- रूपये के हिसाब से श्री रामजीलाल मीना बीसीएमओ के कहे अनुसार कुल 12,000/-रूपये रिश्वत की मांग कर बिल एक-दो दिन में बनाने के लिए कहना पाया गया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादिया शिमला मीना से पूछा गया तो परिवादिया ने महिला हैड कानि0 द्वारा बताई बातों की ताईद की एवं साथ ही कानि0 लोकेश कुमार ने भी हैड कानि0 व परिवादिया की बातों को ताईद की। तत्पश्चात हैड कानि0 द्वारा पेश किये गये वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपीगण द्वारा परिवादिया से उसके इन्सेंटिव राशि बिल पास कर दिलाने की एवज में प्रतिमाह 1000/- रूपये के हिसाब से रिश्वत की मांग कर अप्रेल 2023 से मार्च 2024 तक कुल 12 महिने के 12,000/- रूपये रिष्वत की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। वॉईस रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में रखा गया। इसके बाद परिवादिया द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो लिखित रिपोर्ट मन उप अधीक्षक पुलिस को दिनांक 30.08.2024 को मोबाईल पर बताई वार्ता के संदर्भ में होना पाया गया। तत्पश्चात परिवादिया की लिखित रिपोर्ट को अवलोकन कर मजिद दरियाफत की गई तो परिवादिया ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना एंव उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना ताईद किया। तत्पश्चात परिवादिया शिमला मीना सीएचओ से हुई दरियाफ्त के अनुसार संदिग्ध आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि लेकर परिवादिया को सोमवार को बुलाया गया है इस पर अग्रिम कार्यवाही सोमवार को होने पर परिवादिया शिमला मीना को संदिग्ध आरोपीगण द्वारा मांग की गई रिश्वती राशि 12,000/- रूपये अपने साथ लेकर एवं गोपनीयता बनाये रखने व दिनांक 02.09.2024 को को समय 09.10 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 2.09.2024 को समय 09.05 एएम पर पूर्व के पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अजय जोरवाल सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता पीएचईडी रामगढ पचवारा जिला दौसा एवं श्री विजय सैन कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिषाशी अभियंता पीएचईडी दौसा को जरिये दूरभाष सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र ही कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया एंव उसके कुछ समय बाद ही पाबन्दशुदा परिवादिया शिमला मीना सीएचओ कार्यालय में उपस्थित आयी, जिसको संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि बाबत पूछा गया तो अपने पास होना बताया। तत्पश्चात समय करीब 09.20 एएम पर पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री अजय जोरवाल सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता पीएचईडी रामगढ पचवारा जिला दौसा एवं श्री विजय सैन कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिषाषी अभियंता पीएचईडी दौसा कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनों ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादिया शिमला मीना से परिचय करवाकर परिवादिया द्वारा पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने परिवादिया के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादिया से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादिया ने अपने लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्य सही होना बताया। जिसको गवाहान ने सही मानते हुये प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात समय करीब 10.03 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादिया शिमला मीना के मोबाइल नं0 पर आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ के मो0न0 से जरिये व्हाट्सअप कॉल आने पर परिवादिया के मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दोनों के मध्य हुई वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें मांग सत्यापन की वार्ता रिकॉर्ड थी एंव जिसको सुनकर कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया था को आलमारी से निकलवाकर वाईस रिकार्डर को चालूकर उसमें रिकॉर्ड करवाया गया तो आरोपी द्वारा परिवादिया को उसके इन्सेंटिव राशि बिल पास करवाकर पेमेंट दिलाने की एवज में मांग सत्यापन के समय दिनांक 31.08.2024 को प्रतिमाह 1000/- रूपये के हिसाब से 12 महिने के 12,000/- रूपये रिश्वती राशि देने के संबंध में वार्ता की गई। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवहान के समक्ष एंव परिवादिया शिमला मीना पुत्री श्री रामकरण मीना जाति मीना उम्र 27 साल निवासी लाडली का बास तहसील नागल राजावतान जिला दौसा हाल सीएचओ अभयपुरा के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय परिवादिया शिमला मीना व संदिग्ध आरोपीगण डॉ0 रामजीलाल मीना एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा से दिनांक 31.08.2024 को रूबरू हुई वार्ता व आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ से उसके मोबाइल पर जरिये वाट्सअप कॉल हुई वार्ता तथा दिनांक 02.09.2024 को रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व परिवादिया की आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ से उसके मोबाइल पर जरिये वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता को डिजिटल टेपरिकार्डर में टेप किया गया था को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से टेबिल स्पीकर लगाकर चालूकर सुना गया एंव उसमें आई वार्ता की शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई, रिकॉर्ड शुदा वार्ता में परिवादिया शिमला मीना द्वारा अपनी आवाज तथा आरोपी डॉ0 रामजीलाल मीना एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा व आरोपी श्री विजय मीना सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) संविदा कर्मी डागोलाई उप

स्वास्थ्य केन्द्र पापडदा ब्लॉक नांगल राजवतान जिला दौसा की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादिया ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की डी0वी0डी0 बनाने हेतु पांच खाली डी0वी0डी0 मगंवाई जाकर पांचो को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी-बारी से पांच डी0वी0डी0 तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पांचो डी0वी0डी0 पर मार्क A-1, A-2,A-3,A-4,A-5 अंकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादिया शिमला मीना के हस्ताक्षर करवाकर डी0वी0डी0 मार्क A-1, A-2 न्यायालय हेतु एवं मार्क A-3,A-4 आरोपीगण हेतु प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित चारो डी0वी0डी0 को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1,A-2,A-3,A-4 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा पांचवी डी0वी0डी0 मार्क A-5 को अनुसंधान हेतु खुला रखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। रिकॉर्ड शुद्रा वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार कार्यालय के कम्प्यूटर पर श्री लोकेश कुमार कानि0 155 से टाईप करवाई गई। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती डीवीडी रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादिया शिमला मीना को संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादिया ने अपने पास से 500-500 रूपये के 24 नोट कुल 12,000/-रू0 निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बरो की लिखापढी फर्द पेशकशी रिश्वती राशि में कर उक्त नोटों के नम्बर मन उप अधीक्षक पुलिस एंव उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। परिवादिया द्वारा पेश शुदा नोटों पर श्री रामखिलाडी कानि0 52 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 12,000 रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री रामखिलाडी कानि0 52 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादिया शिमला मीना की जामा तलाशी श्रीमति मंजू हैड कानि0 53 से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल तथा उसके बैग में उसकी स्कूटी की चाबी एवं चस्मा के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 12,000/-रू. के नोट श्री रामखिलाडी कानि0 52 से परिवादिया के बैग की उपर की जेब में रखवाये गये एंव परिवादिया को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगी तब तक कि आरोपीगण रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हे देवे। और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादिया को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान व श्रीमति मंजू हैड कानि 53 को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादिया के आस पास रहकर परिवादिया व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री रामखिलाडी कानि0 52 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादिया व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पावडर लगाने वाले श्री रामखिलाडी कानि0 52 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादिया, गवाहान एंव ट्रेप पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादिया एवं श्रीमति मंजू हैड कानि0 53 को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादिया को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। इसके बाद समय करीब 12.55 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादिया शिमला मीना ने बताया कि साहब मेरे मोबाइल नम्बर [illegible] पर आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ ने अपने मोबाइल नं0 [illegible] से जरिये दूरभाष वाट्सअप कॉल वार्ता कर मुझे रिश्वत राशि लेकर समय 01 व 01.15 पीएम पर गॉधी तिराया पर बुलाया है। इस पर समय करीब 01.10 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादिया शिमला मीना व स्टाफ सदस्य सर्व श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27,, श्री दौलतराम हैड कानि0 101, श्री बनवारी लाल हैड कानि0 116, श्रीमति मंजू हैड कानि0 53, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश चन्द कानि. 101, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155, श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर

एवं अन्य साजो सामान के सरकारी वाहन, तीन निजि मोटर साईकिल एवं श्रीमति मंजू हैड कानि0 व परिवादिया की स्कूटी से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही कार्यालय में श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक को छोडा जाकर आरोपी विजय मीना सीएचओ के बताये अनुसार स्थान गाँधी तिराया दौसा के लिए रवाना होकर समय 01.15 पीएम उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा गाँधी तिराया दौसा पर पहुचे, जहां पर वाहनों को गाँधी तिराये पर भीड भाड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादिया को डिजिटल टेपरिकॉर्ड चालू करने की मूनासिब हिदायत कर उसके कार्य के लिए संदिग्ध आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ से वार्ता करने व उसके आने के इंतजार में दुकान स्पेक्ट्रा कलर स्टूडियो दौसा के बाहर खडी की गई तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर गाँधी तिराया दौसा के आस पास खडे होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादिया के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय 01.30 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादिया शिमला मीना पुत्र श्री रामकरण मीना उम्र 27 साल जाति मीना निवासी लाडली का बास, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा हाल सीएचओ अभयपुरा जिला दौसा ने दुकान गाँधी तिराया स्पेक्ट्रा कलर स्टूडियो के सामने चबूतरे पर खडी होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को निर्धारित ईशारा किया। परिवादिया का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनों गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादिया के पास पहुंचा। जहां पर परिवादिया से पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादिया ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मैं अभी-अभी आपके निर्देशानुसार श्री विजय मीना सीएचओ के पास उनके कहे अनुसार दुकान गाँधी तिराया स्पेक्ट्रा कलर स्टूडियो के सामने आयी तो आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ मुझे खडा हुआ मौजूद मिला, जिसको मैंने मेरे इन्सेंटिव राशि बिल पास करवाकर दिलवाने बाबत कहा तो सीएचओ ने मुझे अपनी तयशुदा रिश्वती राशि 12000 रूपये देने के लिये कहा इस पर मैने अपने बैग से पाउडर युक्त रिश्वती राशि 12,000/-रूपये निकालकर इनको दिये तो इन्होने मेरे से 12,000/- रूपये रिश्वती राशि के अपने बाऐ हाथ से प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपने बाऐं हाथ में रख लिए। इस पर मैने विजय मीना सीएचओ साहब को मेरे पेमेंट बाबत् बात की तो विजय मीना सीएचओ ने मुझे मेरा पेमेंट दो-तीन दिन में दिलवाने को कहा। इसके बाद मैंने मौका पाकर आपको मुकर्रर ईषारा कर दिया और फिर अपने पास खडे पेन्ट शर्ट पहने हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही विजय मीना है जिन्होने मेरे से श्री रामजीलाल मीना बीसीएमओ साहब के कहे अनुसार उनके एवं अपने स्वंय के लिए अपनी तयशुदा रिश्वत राशि 12,000/-रूपये प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपने बाँऐ हाथ में रख लिए जो अभी भी इनके बाँऐ हाथ में ही है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजय मीना पुत्र श्री मांगीलाल मीना जाति मीना उम्र 30 साल निवासी प्लांट नं0 60 बी गली नं0 05 कृष्णा नगर ब्रह्मपुरी रोड जयपुर हाल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) संविदा कर्मी डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापडदा ब्लॉक नांगल राजवतान जिला दौसा होना बताया। तत्पश्चात् श्री विजय मीना सीएचओ से परिवादिया शिमला मीना से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 31.08.2024 को उसकी मोबाइल पर व्हाट्सअप कॉल के जरिये हुई वार्ता में उसके इन्सेंटिव राशि बिल अप्रेल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के पास करवाकर पेमेंट दिलवाने की एवज में 1000/-रूपये प्रतिमाह के हिसाब 12 माह के 12,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर आज वर वक्त ट्रेप कार्यवाही लेन-देन के समय अपनी मांग अनुसार उक्त कार्य करने की ऐवज में मांग कर प्राप्त किये गये 12,000/-रूपये रिश्वत राशि बाबत पूछा कि आपने उक्त रिश्वती राशि शिमला मीना से किस काम के लिए ली है एवं किस के लिए ली है तथा कहा है तो श्री विजय मीना सीएचओ ने बताया कि दिनांक 31.08.2024 को शिमला मीना सीएचओ ने मेरे मोबाइल नं0 [redacted] पर अपने मोबाइल नं0 [redacted] से जरिये व्हाट्सअप कॉल वार्ता की थी तब इन्होने मुझे अपने इन्सेंटिव राशि बिल पास करवाकर पेमेंट दिलवाने के लिए कहा था। इस पर मैने इनको कहा कि मुझे डॉ0 रामजीलाल मीना बीसीएमओ साहब ने कहा है कि आप अपने व अपने सभी साथियों के इन्सेंटिव राशि बिल ब्लॉक में जमा करवा देना एवं प्रत्येक से 1000/- रूपये प्रतिमाह के हिसाब से राषि प्राप्त कर मुझे दे देना मै सभी के बिल पास कर पेमेंट करवा दूगा जो नही दे उनका पेमेंट रोक देगें इस पर मैने डॉ0 रामजीलाल मीना बीसीएमओ के कहे अनुसार शिमला मीना से इनके माह अप्रेल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का इन्सेंटिव राशि बिल पास करवाकर पेमेंट दिलवाने के लिए कुल 12 महिनों के 12,000/- रूपये की मांग की थी, एवं उक्त रूपये आज दिनांक 02.09.2024 को इनको देने के लिए कहा था इस पर आज शिमला मीना ने मुझे मेरे मोबाइल पर वार्ता कर पेमेंट देने के लिए कहा तो मैने इनको गाँधी तिराये पर बुलाया था, मेरे कहे अनुसार शिमला मीना सीएचओ गाँधी तिराये पर मुझे स्पेक्ट्रा कलर स्टूडियों के सामने मिली तो मैंने इनको उक्त रूपये देने बाबत् कहा तो इन्होने अपने बैग से निकाल कर मेरे को दिये मैने इनसे उक्त 12,000/- रूपये अपने बाँऐ हाथ से प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपने बाँऐ हाथ में रख लिए और इनके कहने पर इनको कहा कि आपका पेमेंट दो-तीन दिन में हो जायेंगा। इनसे प्राप्त किये हुये 12,000/- रूपये अभी भी मेरे बाँये हाथ की मुठ्ठी में ही है मैने इनसे मेरे लिए कोई रिश्वत की मांग नही गई और ना ही प्राप्त की गई ये रिश्वती राशि मैने डॉ0 रामजीलाल मीना बीसीएमओ के लिए ही उनके कहे अनुसार ली है। इस पर पास में खडी परिवादिया ने आरोपी की बातों का खण्डन करते हुये बताया कि साहब श्री विजय मीना सीएचओ झूठ बोल रहे है इन्होने मेरे इन्सेंटिव राशि बिल पास करवाकर पेमेंट दिलवाने के

लिए डॉ0 रामजीलाल मीना बीसीएमओ के कहे अनुसार प्रतिमाह 1000/- रूपये के हिसाब से कुल 12 महिनों के 12,000/- रूपये डॉ0 रामजीलाल मीना बीसीएमओ के कहे अनुसार उनके लिए एवं अपने स्वंय के लिए मांग सत्यापन दिनांक 31.08.2024 को मांग कर आज वक्त रिश्वती राशि लेन देन के समय मेरे से मांग कर प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपने बॉये हाथ में रख लिये थें जो अभी भी इनके पास ही है इस पर विजय मीना सीएचओ से पुनः पूछा गया तो वह कुछ नही बोला और चुपचाप खडा हो गया। तत्पश्चात् मौके पर काफी भीड भाड होने एवं कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने को मध्यनजर रखते हुए आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ के दोनों हाथों को स्टाफ सदस्यों को पकडने बाबत कहा, तो आरोपी का दाहिने हाथ श्री लोकेश कुमार कानि. ने एवं बांया हाथ श्री प्रेम प्रकाश कानि. ने कलाई के उपर से अलग-अलग पकड लिये। तत्पश्चात् आरोपी के दोनों हाथों को पकडे-पकडे ही आरोपी को सरकारी वाहन में बैठाया गया एवं साथ में स्टाफ सदस्यों एवं दोनों गवाहान को गाडी एवं मोटर साईकिलों से तथा परिवादिया को उसकी स्कूटी पर बैठाया जाकर मौके से रवाना होकर एसीबी कार्यालय दौसा पर पहुंचा। जहां पर आरोपी को कार्यालय कक्ष में बैठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् आरोपी के बॉये हाथ में रखी रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाह श्री अजय जोरवाल को दिलवाई जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान को बरामदशुदा रिश्वती राशि को गिनने एवं पहचानने बाबत् कहा तो दोनों गवाहन ने आरोपी के बॉये हाथ से बरामद रिश्वती राशि को गिनकर 500-500 रूपये के 24 नोट कुल 12,000/- रूपये होना एवं बरामदशुदा नोटों के नम्बरों का मिलान कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी के नोटों से कर दोनों के नम्बर एक समान व हुबहु होना बताया। तत्पश्चात् बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सिलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त बरामदगी रिश्वती राशि की विडियोग्राफी श्री लोकेश कुमार कानि0 155 के मोबाइल से करवायी गई। जिसकी फर्द जब्ती डीवीडी पृथक से तैयार की जावेगी। तत्पश्चात् कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से एक साफ प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर दो प्लास्टिक के साफ डिस्पोजलो गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों ही हाथों की अंगुलियों के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर दोनों ही गिलासों के धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1,L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ की उसके मोबाइल नं0 से स्पीकर ऑन कर आरोपी श्री रामजीलाल मीना एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान के मोबाइल नं0 पर करवायी गई तो डॉ0 रामजीलाल मीना ने कहा कि मै कोर्ट में हूँ बाद में बात करता हूँ फिर पुनः कुछ समय बाद डॉ0 रामजीलाल मीना के उक्त मोबाइल नं0 से आरोपी विजय मीना सीएचओ के उक्त मोबाइल नम्बर पर कॉल आया व वार्ता की तो आरोपी विजय मीना सीएचओ द्वारा आरोपी डॉ0 रामजीलाल मीना को यह कहना की सर शिमला मीना सीएचओ आपके कहे अनुसार मेरे पास आई है और इसने भी इन्सेंटिव राशि बिल पास करवाने के लिए पैसे दे दिये है अब सभी के आ गये कब देने है आपको तब आरोपी डॉ0 रामजीलाल मीना ने कहा कि ठीक है आप अपने पास रखो एक दो दिन में बिल पास कर देगें फिर ले लेगें। उक्त वार्ता को वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद आरोपी विजय मीना सीएचओ को कार्यालय स्टाफ निगरानी में छोडा जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हैड कानि0 दौलत राम, श्री बनवारी लाल हैड कानि0 116, श्री लोकेश कुमार कानि0 155, परिवादिया शिमला मीना व श्रीमति मंजू हैड कानि0 53 को हमराह लेकर गाडी सरकारी मय चालक कैलाश के आरोपी डॉ0 रामजीलाल मीना की तलाश हेतु न्यायालय एवं कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के लिए रवाना होकर आरोपी डॉ0 रामजीलाल मीना की न्यायालय में तलाश की तो नही मिला एवं कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में जाना ज्ञात हुआ इस पर वहाँ से रवाना होकर कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा पहूँचा जहाँ पर सीएमएचओ कार्यालय में पेंट शर्ट पहने हुये बैठे व्यक्ति की तरफ परिवादिया ने ईशारा कर बताया की साहब यही डॉ0 रामजीलाल मीना एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा है। जिन्होने मेरे से मेरे इन्सेंटिव राशि बिल पास कर पेमेंट करवाने के लिए प्रतिमाह 1000/- रूपये रिश्वत की मांग कर कुल 12 महिने के 12,000/- रूपये श्री विजय मीना सीएचओ को देने के लिए कहा था। इस पर उक्त व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एवं हमराहीयान स्टाफ का परिचय देते हुये नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम डॉ0 रामजीलाल मीना पुत्र श्री रामगोपाल मीना उम्र 40 साल जाति मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा हाल एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा होना बताया गया। आरोपी को हमराह लेकर वहाँ से रवाना होकर कार्यालय में उपस्थित आया। कार्यालय में उपस्थित आने के बाद आरोपी डॉ0 रामजीलाल मीना से दिनांक 31.08.2024 को मांग सत्यापन के दौरान परिवादिया एवं उसके मध्य हुई वार्ता के अनुसार परिवादिया के इन्सेंटिव राशि बिल पास कर पेमेंट दिलवाने के लिऐ प्रतिमाह 1,000/- रूपये के हिसाब से माह अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कुल

12 महिने के 12,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर श्री विजय मीना सीएचओ को देने के लिए कहना एवं उनकी एवं आरोपी विजय मीना सीएचओ की मांग के अनुसार आरोपी विजय मीना ने आज वर वक्त रिश्वत राशि लेन देन के समय परिवादिया से प्राप्त करना एवं दोनों आरोपीगणां की मोबाइल पर हुई वार्ता के बारे में पूछा गया तो आरोपी डॉ0 रामजीलाल मीना ने बताया कि दिनांक 31.08.2024 को शिमला मीना सीएचओ मेरे पास मेरी स्वंय की अस्पताल नांगल राजावतान आई थी और अपने इन्सेंटिव राशि बिल बनाकर पेमेंट दिलाने के बारे में बात की थी लेकिन मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की थी और ना ही इनको अन्य किसी को रिश्वत राशि देने को कहा। आज मेरी श्री विजय मीना सीएचओ से मोबाइल पर वार्ता हुई थी जिनको मैने कोर्ट में होना बताया था लेकिन मेरी इसके अलावा विजय मीना सीएचओ से और कोई वार्ता नही हुई। इस पर पास ही खडी परिवादिया ने बताया कि साहब बीसीएमओ साहब झूठ बोल रहे है इन्होने मेरे से दिनांक 31.08.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय मेरा इन्सेंटिव राशि बिल माह अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कुल 12 महिने का पास कर पेमेंट दिलवाने के लिए प्रतिमाह 1000/- रूपये की मांग कर श्री विजय मीना सीएचओ को देने के लिए कहा था जो इनके कहे अनुसार मैने आज श्री विजय मीना सीएचओ को उसके द्वारा मांग करने पर दी थी। इसके बाद आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ से पूछा तो उन्होने बताया कि मैने उक्त 12,000/- रूपये बीसीएमओ साहब डॉ0 रामजीलाल मीना के कहे अनुसार ही शिमला मीना से लिये है और मैने इन बाबत् आज इनसे मोबाइल पर वार्ता की तो इन्होने कहा की ठीक है आप अपने पास रखों एक दो दिन में बिल पास कर देगें फिर दे देना। इस पर डॉ0 रामजीलाल मीना एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा से रिश्वत राशि बाबत् पुनः पूछा गया तो वह कुछ नही बोला एवं चुपचाप हो गया। तत्पश्चात् परिवादिया से प्राप्त वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादिया व आरोपी श्री विजय मीना सीएचओ के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता व दोनों आरोपीगण के मध्य मोबाइल पर हुई वार्ता टेप होना पाई गई, जिसकी अलग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती डीवीडी तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपीगण से परिवादिया के इन्सेंटिव राशि बिल से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने बाबत कहा गया तो आरोपीगण ने उक्त रिकॉर्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान में होना बताया। जिसको जरिये फर्द पृथक् से जब्त किया जावेगा। तत्पश्चात् परिवादिया व आरोपीगण से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन-देन बाबत पूछा तो तीनों ने ही इंकार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राषि एंव हाथ धुलाई पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद घटनास्थल का नक्शा मौका जरिये फर्द कशीद कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहन सर्व श्री अजय जोरवाल सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता पीएचईडी रामगढ पचवारा जिला दौसा एवं श्री विजय सैन कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिषाषी अभियंता पीएचईडी दौसा के समक्ष परिवादिया शिमला मीना पुत्री श्री रामकरण मीना जाति मीना उम्र 27 साल निवासी लाडली का बास तहसील नागल राजावतान जिला दौसा के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस ने रिश्वत राषि लेन देन के समय परिवादीया व संदिग्ध आरोपी श्री विजय मीणा, सीएचओ के मध्य दिनांक 02.09.24 को वर वक्त ट्रेप कार्यवाही हुई वार्ता एवं दोनो आरोपीगण श्री रामजीलाल मीणा, एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा व श्री विजय मीणा, सीएचओ के मध्य उनके मोबाईल नम्बर व पर करवाई गई वार्ता, जिसको परिवादीया से प्राप्त किये गये सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, को अपने पास से निकालकर कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से टेबिल स्पीकर लगाकर चालूकर सुना गया एंव उसमें आई वार्ता की शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं में परिवादिया शिमला मीना द्वारा अपनी आवाज तथा आरोपी डॉ0 रामजीलाल मीना, एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा व आरोपी श्री विजय मीना सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) संविदा कर्मी डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापडदा ब्लॉक नांगल राजावतान जिला दौसा की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादिया ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की डी0वी0डी0 बनाने हेतु पांच खाली डी0वी0डी0 मगंवाई जाकर पांचो को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी-बारी से पांच डी0वी0डी0 तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पांचो डी0वी0डी0 पर मार्क- B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 अंकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादिया शिमला मीना के हस्ताक्षर करवाकर डी0वी0डी0 मार्क B-1, B-2 न्यायालय हेतु एवं मार्क B-3, B-4 आरोपीगण हेतु प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित चारो डी0वी0डी0 को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क - B-1, B-2, B-3, B-4, अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा पांचवी डी0वी0डी0 मार्क B-5 को अनुसंधान हेतु खुला रखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती डीवीडी रिश्वती राशि लेन देन पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एवं परिवादिया शिमला मीना के सामने आरोपी श्री विजय मीना सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) संविदा कर्मी डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापडदा ब्लॉक नांगल राजावतान जिला दौसा से फर्द बरामदगी रिश्वत राशि के समय वक्त 01.50 पीएम पर श्री लोकेश कुमार

कानि0 155 से उसके मोबाईल से बनाई गई विडियोग्राफी की डीवीडी बनाने हेतु पांच खाली डी0वी0डी0 मगंवाई जाकर पांचो को खाली होना सुनिश्चित कर कानि0 के मोबाइल को कम्प्यूटर से जोडकर रिकॉर्डशुदा विडियो की बारी-बारी से पांच डी0वी0डी0 तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पांचो डी0वी0डी0 पर मार्क V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादिया शिमला मीना के हस्ताक्षर करवाकर डी0वी0डी0 मार्क V-1, V-2, न्यायालय हेतु एवं मार्क V-3, V-4, आरोपीगण हेतु प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित चारो डी0वी0डी0 को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क V-1, V-2, V-3, V-4 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा पांचवी डी0वी0डी0 मार्क V-5 को अनुसंधान हेतु खुला रखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दोनों आरोपीगण की पृथक-2 फर्द प्राप्ति नमूना आवाज आरोपी तैयार की गई एवं आरोपीगण के सहकर्मी से मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन-देन के समय परिवादिया व आरोपीगण के मध्य हुई रूवरू व मोबाईल पर जरिये वाट्सअप काल एंव सादा कॉल हुई वार्ता की डी.वी.डी. को चालूकर सुनाया जाकर आरोपीगण की आवाज की फर्द पहचान आवाज तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। परिवादिया के इन्सेंटिव राशि बिल सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति को जरिये फर्द जब्त किया गया। दोनों आरोपीगण को अलग-2 जरिये फर्द जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया शिमला मीना के समक्ष उक्त कार्यवाही में उपयोग लिये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 31.08.2024 को मांग सत्यापन के दौरान परिवादिया व आरोपी डॉ0 रामजीलाल मीना एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा के मध्य रूबरू हुई वार्ता व आरोपी श्री विजय मीना सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) संविदा कर्मी डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापडदा ब्लॉक नांगल राजवतान जिला दौसा के मध्य परिवादिया के मोबाइल [redacted] से आरोपी के मोबाइल नं0 [redacted] पर जरिये व्हाट्सअप कॉल हुई वार्ता एवं दिनांक 02.09.2024 को परिवादिया के उक्त मोबाइल नं0 से रिश्वती राशि लेन देन से पूर्व आरोपी श्री विजय मीना सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) संविदा कर्मी डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापडदा ब्लॉक नांगल राजवतान जिला दौसा के उक्त मोबाइल पर एवं फोल्डर नं0 02 में दिनांक 02.09.2024 को रिश्वती राशि लेन देन के समय परिवादिया शिमला मीना व आरोपी विजय मीना सीएचओ के मध्य रूबरू हुई वार्ता तथा डॉ0 रामजीलाल मीना एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा के मोबाइल नं0 [redacted] से आरोपी श्री विजय मीना सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) संविदा कर्मी डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापडदा ब्लॉक नांगल राजवतान जिला दौसा के मध्य उसके मोबाइल नं0 [redacted] से रिश्वत राशि लेन-देन के समय मोबाइल पर हुई वार्ता रिकार्ड की हुई थी। उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्राशसील नम्बर-47 को तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा शीषीयें०ा व जब्त शुदा रिश्वती राशि नम्बरी 12000/-रूपये को जमा मालखाना करवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादिया को बाद कार्यवाही रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपीगण डॉ0 रामजीलाल मीना एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा व आरोपी श्री विजय मीना सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) संविदा कर्मी डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापडदा ब्लॉक नांगल राजवतान जिला दौसा एक लोक सेवक होते हुए अपने-अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये आपसी मिली भगत कर परिवादिया शिमला मीना पुत्री श्री रामकरण मीना उम्र 27 साल जाति मीना निवासी लाडली का बास, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा हाल सीएचओ अभयुपरा जिला दौसा से उनके इन्सेंटिव राशि बिल पास कर पेमेन्ट दिलवाने के लिए रिश्वती मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 31.08.2024 को आरोपी श्री रामजीलाल मीना एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा ने परिवादिया से उसके इन्सेंटिव राशि बिल पास कर पेमेन्ट दिलवाने की एवज में प्रतिमाह 1,000/-रूपये के हिसाब से अप्रेल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कुल 12 माह के 12,000/- रूपये रिश्वती की मांग कर श्री विजय मीना सीएचओ डागोलाई को देने के लिए कहना एवं श्री विजय मीना सीएचओ ने अपने उच्च अधिकारी डॉ0 रामजीलाल मीना एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा के कहे अनुसार परिवादिया के उक्त इन्सेंटिव राशि बिल पास करवाकर पेमेंट दिलवाने की एवज में प्रतिमाह 1000/- रूपये के हिसाब से 12 महिने के 12,000/- रूपये रिश्वती की मांग कर पेमेंट दो तीन दिन में दिलवाने की कहना एवं अपने उच्च अधिकारी डॉ0 रामजीलाल मीना एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा व अपनी मांग के अनुसार वर वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 02.09.2024 को

परिवादिया से मांग कर प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनना एवं उक्त रिश्वती राशि आरोपी के बॉऐ हाथ से बरामद होना तथा डॉ0 रामजीलाल एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा से उक्त रिश्वती राशि बाबत् आरोपी विजय मीना सीएचओ की उसके मोबाईल पर वार्ता करवायी जाने पर आरोपी डॉ0 रामजीलाल एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा श्री विजय मीना सीएचओ को रिश्वती राशि अपने पास रखना व इन्सेंटिव राशि बिल पास होने के बाद स्वंय को देने के लिए कहना स्पष्ट रूप से पाये जाने पर दोनों आरोपीगण का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण डॉ0 रामजीलाल मीना पुत्र श्री रामगोपाल मीना उम्र 40 साल जाति मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा हाल एमओआईसी अति0 चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा व आरोपी श्री विजय मीना पुत्र श्री मांगीलाल मीना जाति मीना उम्र 30 साल निवासी प्लांट नं0 60 बी गली नं0 05 कृष्णा नगर ब्रहम्पुरी रोड जयपुर हाल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) संविदा कर्मी डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापडदा ब्लॉक नांगल राजवतान जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (नवल किशोर) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोध्क ब्यूरो दौसा ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1.डा0 रामजीलाल मीना पुत्र श्री रामगोपाल मीना उम्र 40 वर्ष निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा हाल एमओआईसी अति0चार्ज बीसीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान जिला दौसा एवं 2. श्री विजय मीना पुत्र मांगीलाल मीना उम्र 30वर्ष निवासी प्लाट नम्बर 60 बी गली न0 5 कृष्णा नगर ब्रहमपुरी रोड़ जयपुर हाल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) संविदा कर्मी डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापड़दा ब्लॉक नांगल राजावतान जिला दौसा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 56 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 1015-20 दिनांक 04.09.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्र0स0 2 जयपुर। 2 श्रीमान निदेशक जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाए राजस्थान जयपुर। 3 मिशन निदेशक एनएचएम निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय राजस्थान जयपुर। 4 श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5 श्रीमान पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जयपुर। 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mahendra Kumar Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]/2024 [illegible]

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	06/04/1984				
2	Male	19/03/1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)